8/6/17 — आज मैं पंचायती वाड़ी, ढाणा स्वयं उप-खण्ड अधिकारी बालोतरा, बिठा, बिल्ली जाने वाड़ देखकर पट्टा लिमिट डिस्क्रिप्शन के प्रकरण की जांच की गयी। वाड़ी स्वयं उपवाड़ी ढाणा पूर्व पंचायत समिति के कार्यालय में देखा गया कि प्रार्थी वाड़ी लोकमान्य के अन्य वाड़ को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा वाड़ बिठा, बालोतरा चाहता है। पंचायत पर वाड़ी प्रार्थी का दबाव नहीं। पंचायती का अभिमत लिया गया। न्यायालय में प्रार्थी वाड़ी ढाणा अंतर पंचायत अधिकार लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी वाड़ी ढाणा तहसील पंचायत बालोतरा, बिठा, बिल्ली जाने वाड़ स्थानांतरित किया जाकर वाड़ी का वाड़ बिठा, बिल्ली जाने पर स्थानांतरित किया जाता है। पंचायती कार्यालय अनुसार हेतु अग्रेषित है।

सहायक कलक्टर
(पंचायत समिति) बाड़मेर